"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी 2007—माघ 18, शक 1928

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-04/2001/नौ/55.—छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) की धारा 32 की उपधारा (4) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूलों (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में 150 विद्यार्थी प्रतिवर्ष भर्ती के लिए न्यूनतम मापदण्ड विहित करने के विनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त विनियमों में,—

1. विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"इंटर्नशिप :- तीन वर्ष का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, बारह माह की रोटेटिंग इंटर्नशिप सरकारी अस्पतालों में निम्नानुसार होगी :-

(क) एक माह उप स्वास्थ्य केन्द्र में,

(ख) तीन माह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में,

(ग) चार माह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में,

(घ) चार माह जिला चिकित्सालय में (प्रसूति विज्ञान विभाग, शिशुरोग विभाग, भेषज विभाग और शल्यक्रिया विभाग, प्रत्येक में एक-एक माह)

रोटेटिंग इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् संबंधित विभागों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर संबंधित जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 21-04/2001/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-02-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, सचिव.

Raipur, the 7th February 2007

NOTIFICATION

No. F 21-04/2001/IX/55.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 32 and Section 13 of the Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001 (No. 7 of 2001), the State Government, hereby, makes the following amendments to the Regulations to prescribe the minimum standards of Practitioner in Alternative Medicine Schools (three years course) admitting 150 students annually, namely :-

AMENDMENT

In the said Regulations,—

1. For Regulation 4, the following Regulation shall be substituted, namely :-

"Internship :- After successful completion of three years course, there shall be a twelve months rotating internship in Government Hospitals as follows :-

(a) One month in a Sub-Health Centre.
(b) Three months in a Primary Health Centre.
(c) Four months in a Community Health Centre.
(d) Four months in a District Hospital (one month each in Obstetrics Department, Paediatrics Department, Medicine Department and Surgery Department)

The Chief Medical Officer of the district concerned, shall issue a certificate on the basis of those issued by the departments concerned after successful completion of the rotating internship."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. L. AGRAWAL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.